उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-12
संख्या- 25 /2024//001-295-23-12-2024-23-12099-869-2020
दिनांकः 22 मार्च, 2024

शुद्धि-पत्र

अवगत कराना है कि शासनादेश अपलोड करने की वेबसाइट पर पीडीएफ में अपलोड किये गये वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के 04 चालू कार्यों से सम्बन्धित शासनादेश सं0-24/2024//001-286-23-12-2024-23-12099-869-2020, दिनांक 21.03.2024 अपलोड किया गया है। उक्त आदेश के प्रथम पंक्ति में मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्रांक-8086/सीई-एचक्यू-1/सीआरएफ/एसएएच/2023-24, दिनांक 15.03.2024 टंकण त्रुटिवश अंकित हो गया है, जिसका वास्तविक पत्रांक- 8046/सीई-एचक्यू-1/सीआरएफ/एसएएच/2023-24, दिनांक 15.03.2024 है।

अतः उक्त शासनादेश में अंकित पत्रांक-8086/सीई-एचक्यू-1/सीआरएफ/एसएएच/2023-24, दिनांक 15.03.2024 के स्थान पर पत्रांक- 8046/सीई-एचक्यू-1/सीआरएफ/एसएएच/2023-24, दिनांक 15.03.2024 पढ़ा जाये।

2. उक्त शासनादेश सं0-24/2024//001-286-23-12-2024-23-12099-869-2020, दिनांक 21.03.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष यथावत।

रिपुंजय गुप्ता
अनु सचिव

सं0-25 /2024/ /001-295-23-12-2024-23-12099-869-2020तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
10- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
13- लोक निर्माण अनु0-10
14- डाटा सेल,नवीन भवन सचिवालय,उत्तर प्रदेश शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in